न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 182/25 (223 आर.टी.एक्ट)

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/290

उनवान

विजय सिंह पुत्र सूरजमल जाति गूजर निवासी ग्राम कारौठ तहसील व जिला भरतपुर।

.............अपीलान्ट

बनाम

1. रामश्री (मृतक), लक्ष्मी पत्नीयां स्व. मोहन सिंह
2. रनवीर सिंह
3. रनधीर सिंह
4. ओमवीर
5. निरंजन

(क्रमांक 2 से 5) पुत्रान स्व. मोहन सिंह

6. सेहता
7. मछला
8. मूर्ता
9. धर्मवती
10. नैमवती

(क्रमांक 6 से 10) पुत्रीयान स्व. मोहन सिंह

(क्रमांक 1 से 10) जाति जाट निवासी ग्राम जाटौली रथवान तहसील व जिला भरतपुर।

11. ओमवती पुत्री स्व. हरीसिंह
12. केलादेवी पुत्री स्व. हरीसिंह
13. संगीता पुत्री स्व. हरीसिंह
14. राजवीर सिंह पुत्र हरीसिंह
15. पुष्पा देवी पत्नी सुखवीरसिंह
16. सुधीर सिंह पुत्र सुखवीरसिंह
17. भानू प्रताप पुत्र सुखवीरसिंह

.........असल प्रतिवादीगण

18. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भरतपुर।

.........तरतीवी प्रतिवादी

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 95/2018 बउनवानी विजयसिंह बनाम रामश्री, लक्ष्मी वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2022 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री मोहन सिंह राना उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक : 02.06.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा मु.स. 95/2018 बउनवानी विजयसिंह बनाम रामश्री, लक्ष्मी वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2022, दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 635 रकबा 16 एयर, 651 रकबा 17 एयर वाके ग्राम कारौठ तहसील भरतपुर पर अकेले वादी का पुश्तैनी समय से कब्जा काश्त है। उक्त हाल आराजी खसरा नम्बर, साबिक ख.न. 834 रकबा 1 बीघा व 836 रकबा 18 बिस्वा से बने हैं किन्तु कागजात पटवार में अब हाल में बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त गत खसरा नम्बरों से बने हाल खसरा नम्बर 635 व 651 पर प्रतिवादीगण का नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज कर दिया है। इसलिए वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी को हाल आराजी ख.न. 635 व 651 वाके ग्राम कारौठ तहसील भरतपुर पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। तद्उपरान्त उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.03.2022 को निर्णय पारित करते हुए दावा वादी साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन सिंह राना ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट्स बाबजूद तामील अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 635 रकबा 16 ऐयर व ख.न. 651 रकबा 17 एयर कुल किता 2 रकबा 33 ऐयर वाके ग्राम कारौठ तहसील भरतपुर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व वादी के कब्जे काश्त व हकूक खातेदारी की है। जिस पर अकेले वादी का पुश्तैनी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2022 खिलाफ कानून नियम व तथ्य है। उक्त निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पिता का नाम सूरजभान लिखा है जो गलत है। जिस तथ्य से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट के दावा को गौर से पढ़े बगैर ही केवल अपने निर्णय मे यह लिखकर कि अपीलान्ट वादी ने दावा के साथ कोई साक्ष्य पेश नहीं की है इसलिए दावा खारिज किया जाता है। जबकि दावा के साथ अपीलान्ट वादी ने सन् सम्वत 2012 से ताहाल तक की सम्पूर्ण जमाबंदिया व मिलान क्षेत्रफल व तीन गवाह प्रस्तुत किए हैं। जिनका अधीनस्थ न्यायालय ने कतई अध्ययन नहीं किया है। ना ही अपने निर्णय में कोई तनकी कायम की है, ना ही दस्तावेजी साक्ष्य को किस कारण अवैध माना है जिसका निर्णय में कोई जिक्र नही है। अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड ए.डी. प्रतिवादीगण को तलब किया था। जो सूचना प्राप्ति के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। इसलिए रेस्पोडेन्ट्स के खिलाफ दिनांक 24.12.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी एवं प्रतिवादी सं. 18

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पैरोकार सरकार द्वारा भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए प्रतिवादी सं. 18 का जबाब बन्द किया गया था। फिर भी अधीनस्थ न्यायलय ने प्रतिवादीगण के हक में न जाने किस कारण से वादी अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया। इस प्रकार न्यायालय तहत ने कानूनी भूल की है। वादी अपीलान्ट ने अपने दावा को सम्वत 2012 से सम्वत 2071–2074 तक व संवत 2016 व संवत 2020 की जमाबन्दी से अपने दावा को पूर्णतः सिद्ध कर दिया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का दावा खारिज करके भारी कानूनी भूल की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय जैर अपील दिनांक 14.03.2022 न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर निरस्त किया जावे एवं वादी अपीलान्ट का दावा स्वीकार किया जाए।

6. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2022 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 11.05.2022 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 635 रकबा 16 एयर, 651 रकबा 17 एयर वाके ग्राम कारौठ तहसील भरतपुर पर अकेले वादी का पुश्तैनी समय से कब्जा काश्त है। उक्त हाल आराजी खसरा नम्बर, साबिक ख.न. 834 रकबा 1 बीघा व 836 रकबा 18 बिस्वा से बने हैं किन्तु कागजात पटवार में अब हाल में बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त गत खसरा नम्बरों से बने हाल खसरा नम्बर 635 व 651 पर प्रतिवादीगण का नाम बतौर गैरखातेदार साल 40 इन्तकाल नं. 570 से बतौर गैरखातेदार दर्ज कर दिया है। जो विधिविरुद्ध तरीके से कागजात पटवार में दर्ज किया हुआ है। जिसे वादी दुरुस्त कराकर अपना नाम खातेदारी करा पोन के हकदार है। इसलिए वादी ने वाद पेश कर यह अनुतोष मांगा कि वादी को हाल आराजी ख.न. 635 व 651 वाके ग्राम कारौठ तहसील भरतपुर पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में दिनांक 14.03.2022 को निर्णय पारित करते हुए दावा वादी साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.02.2020 के अनुसार वादी साक्ष्य के रुप में वादी विजय सिंह एवं उसके समर्थन में भव्यवानसिंह व दिगम्बर ने शपथ–पत्र पेश किया। वादी विजय सिंह द्वारा पेश शपथ–पत्र को पीठासीन अधिकारी द्वारा सशपथ नहीं किया गया एवं इस शपथ–पत्र के आधार पर केवल एक दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 पर ही प्रदर्श अंकित किया गया है जिस पर भी पीठासीन अधिकारी के आद्याक्षर (Initials) अंकित नहीं है। आदेशिका दिनांक 25.02.2020 के अनुसार वादी द्वारा फार्म नं. 3 के साथ मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी की प्रति भी पेश की गयी है जो शामिल मिशल किया जाना आदेशिका में अंकित है। किन्तु मिलान क्षेत्रफल एवं अन्य साबिक जमाबन्दियों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्शित ही नहीं किया गया है एवं ना ही वह पीठासीन अधिकारी द्वारा आद्याक्षर (Initialls) किये गये हैं। इसलिए उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक कानून की पालना विधिसम्मत रुप से पूर्ण नहीं की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 208 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है। इस धारा में निम्न प्रावधान हैं :–

208 सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन के सब वादों और कार्यवाहियों पर सिवायः–

(क) इस अधिनियम में किसी बात से असंगत उपबंधों के, ऐसी असंगति की सीमा तक,

(ख) इस अधिनियम की व्याप्ति के बाहर के विशेष वादों या कार्यवाहियों पर लागू उपबन्धों के, तथा

(ग) चतुर्थ अनुसूची की सूची (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के, चतुर्थ अनुसूची की सूची–II में अन्तर्विष्ट उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 208 में उल्लिखित तीन अपवादों को छोड़कर राजस्व न्यायालय की सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए राजस्व न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गयी प्रक्रिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एवं राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस, मैन्युअल 1956 की प्रक्रिया अनुसार दावों का निस्तारण करते हैं। साक्ष्य विधि की पद्धति उक्त अधिनियमों के अनुसार ही अपनाई जाकर प्रकरण के निष्कर्ष पर पंहुचा जाता है। जब दो पक्षकारों के बीच कोई विवाद उठता है तब वे न्यायालय जाते हैं जो विवादग्रस्त विवाद्यकों या प्रश्नों को निर्धारित करता है। तत्पश्चात् पक्षकार अपने–अपने समर्थन में साक्ष्य पेश करते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विधि के उपयोग का प्रारम्भ होता है। यह विधि साक्षियों और दस्तावेजों आदि को, जो विवादग्रस्त विषयों के विनिश्चय के लिए सुसंगत हैं पेश करने की पद्धति बताती है। दूसरे शब्दों में साक्ष्य किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने की रीति है। राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 (भाग–2) में दस्तावेजों को प्रदर्शित करने बाबत प्रावधान किए गए है एवं गवाहों को किस प्रकार उल्लेख किया जावे इस बाबत भी प्रावधान दिए गए हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2022 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श ही अंकित नहीं किए जो प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law) की अवहेलना की श्रेणी में आता है। जब दस्तावेजात को प्रदर्शित ही नहीं किया गया तो वे साक्ष्य में पढे नहीं जा सकते हैं एवं उनके आधार पर निर्णय भी पारित नहीं किया जा सकता है। वादपत्र के अभिवचनों से विनिर्दिष्ट रुप से इंकार नहीं किया गया हो तब भी वादी को अपने अभिवचनों को साक्ष्य से साबित करना होता है। वाद के साथ दस्तावेज प्रस्तुत कर देने मात्र से वह साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं होते हैं। बल्कि दौराने साक्ष्य अभिवचनों की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श मार्क अंकित किया जाना आवश्यक है और यदि किसी दस्तावेज को साबित किए जाने की आवश्यकता हो तो ऐसे दस्तावेज को साबित किया जाना भी जरुरी होता है। तत्पश्चात् ही दस्तावेजों को निर्णय का आधार बनाया जा सकता है। केवल वे ही दस्तावेज साक्ष्य की परिभाषा में आ सकते हैं जो दौराने साक्ष्य प्रदर्श हुए हैं और आवश्यक होने पर साबित हुए हों। प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर किये जाएगे। इस सम्बन्ध में राजस्थान रेवेन्यू कोटर्स मेनयूअल (भाग–2) 1956 के नियम 80 के अनुसार दस्तावेज प्रदर्शित किए जाने चाहिए साथ ही नियम 80(4) के अनुसार प्रत्येक प्रदर्श मार्क पर पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक सहित आद्याक्षर (Initialled and dated) किए जाएगें एवं नियम 129 के अनुसार पक्षकारों एवं गवाहों का उल्लेख करना चाहिए। यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है एवं विशेष तरीके से करने की प्रक्रिया भी तय की गयी है तो उसे उसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तरीके से ही किया जाना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री उपर्युक्त विवेचन के क्रम में पारित किए हैं जो त्रुटिपूर्ण होने से उनका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि आलौच्य अपील में उक्त प्रकरण प्रक्रियात्मक कानून का पालन न करने का ठोस आधार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.03.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रक्रियात्मक कानून की पालना करते हुए एवं उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, साक्ष्य, सबूत लेकर, विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए नये सिरे से पुनः निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 03.07.2026 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के समक्ष उपस्थित हों, उभयपक्ष को पृथक से नोटिस जारी करने की आवश्यकता नही रहेगी।

9. निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
10. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
11. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर